न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18 / 2021 **दायर दिनांकः 09.06.20121**

उनवान

1. तस्वीर बाई आयु 63 वर्ष पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. हंसराज आयु 52 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनांक 25.08.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि ग्राम एवं माल जीरोद पटवार हल्का जीरोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 72 का ख0 नं. 838 / 645 का रकबा 1.15 है0 आराजी प्रार्थिया के दर्ज खाता चली आ रही है जो प्रार्थिया ने रजिस्टर्ड बेनामा से अप्रार्थी से खरीद की है जिसके साथ प्रार्थिया ने अप्रार्थी से मौके पर स्थित कुएं का रकबा 0.02 है खरीद नही किया था तथा वर्तमान में अप्रार्थी के ख0नं0 645 का रकबा 0.02 है0 दर्ज खाता है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी 1.15 है0 प्रार्थिया ने अप्रार्थी से क्रय की थी जो प्रार्थिया के दर्ज खाता हो चुकी है। प्रार्थिया ने ख0नं0 645 का रकबा 1.17 है0 मे से 1.15 है0 आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा क्रय की थी तथा शेष रकबा 0.02 है0 आराजी में मौके पर कुआं स्थित होने के कारण क्रय नही की थी। मौके पर कुआं पश्चिम दक्षिण कोने मे स्थित है जिसका क्षेत्रफल पश्चिम से पूरब की लम्बाई 16 मीटर व दक्षिण से उत्तर की लम्बाई 12.5 मीटर है जिस पर कब्जा अप्रार्थी का है तथा प्रार्थिया द्वारा खरीदशुदा आराजी 1. 15 है0 आराजी पर वक्त खरीद से कब्जा काश्त प्रार्थिया का चला आ रहा है लेकिन आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वर्तमान नक्शे में कुएं का रकबा 0.02 है0 प्रार्थिया द्वारा खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

आराजी 1.15 के दक्षिण दिशा में पूरब से पश्चिम तक लम्बी पट्टी के रूप में नक्शा प्रदर्शित कर दिया जो गलत है जिसे प्रार्थिया दुरस्त करवाने की अधिकारी एवं नॉलिसी है। मौके का नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। बिना माननीय न्यायालय की सहायता के प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अप्रार्थी के दर्ज खाता ख0नं0 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा दुरस्त किया जाना संभव नही है। यदि नक्शा दुरस्त नही किया गया तो प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में किया जाना संभव नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के खाता दर्ज ख0नं0 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा पश्चिम से पूरब की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में दर्ज को दुरस्त कर पश्चिम दक्षिण कोने में पश्चिम से पूरब की लम्बाई 16 मीटर व दक्षिण से उत्तर की लम्बाई 12.5 मीटर अर्थात कुल रकबा 0.02 है0 का नक्शा तरमीम किया जावे। क्योंकि मौके पर प्रार्थिया तथा अप्रार्थी चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111. 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अप्रार्थी के खाता दर्ज ख.नं. 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा पश्चिम से पूरब की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में दर्ज को दुरस्त कर पश्चिम दक्षिण कोने मे पश्चिम से पूरब की लम्बाई 16 मीटर व दक्षिण से उत्तर की लम्बाई 12.5 मीटर अर्थात कुल रकबा 0.02 है0 का नक्शा तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि अप्रार्थी के खाता दर्ज ख.नं. 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा पश्चिम से पूरब की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में दर्ज को दुरस्त कर पश्चिम दक्षिण कोने मे पश्चिम से पूरब की लम्बाई 16 मीटर व दक्षिण से उत्तर की लम्बाई 12.5 मीटर अर्थात कुल रकबा 0.02 है0 का नक्शा तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम जीरोद में खाता संख्या 72 का ख0 नं. 838/645 का रकबा 1.15 है0 आराजी प्रार्थिया तस्वीरबाई पत्नि

कन्हैयालाल के दर्ज खाता है तथा ख0नं0 645 का रकबा 0.02 है0 अप्रार्थी हंसराज पुत्र रामगोपाल के दर्ज खाता है। ख.नं. 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा पश्चिम से पूरब की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया तस्वीर बाई पत्नि कन्हैयालाल जाति मीणा आराजी ख0नं0 838/645 रकबा 1.15 है0 अप्रार्थी हंसराज पुत्र रामगोपाल जाति मीणा आराजी ख0नं0 645 रकबा 0.02 है0 सेग्रीगेशन की तरमीम के दौरान प्रार्थीया की दिशा उत्तर दर्शाया गया है और अप्रार्थी की दिशा दक्षिण दर्शाया गया है जबकि मौके पर अप्रार्थी की दिशा दक्षिण पश्चिम में 0.02 है0 का कुआ और शैष रकबा प्रार्थिया 1.15 है0 रह गया है। परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम करते समय सहवन से गलत तरमीम हो गई और प्रार्थीया व अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है।

उपरोक्त विवेचन, रिकार्ड, रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 111, 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि विवादित ग्राम एवं माल जीरोद तहसील अटरू में अप्रार्थी के ख.नं. 645 का रकबा 0.02 है0 का नक्शा पश्चिम से पूरब की तरफ लम्बी पट्टी के रूप में दर्ज को दुरस्त कर पश्चिम दक्षिण कोने मे पश्चिम से पूरब की लम्बाई 16 मीटर व दक्षिण से उत्तर की लम्बाई 12.5 मीटर अर्थात कुल रकबा 0.02 है0 का नक्शा तरमीम कर दूरस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:04 IST
Reason: SelfAttested